प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बीस '

[17/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 576]

विधान सभा, अतारांकित प्रश्न क्रमांक 576 प्रपत्र
सदन में उत्तर देने की तिथि 17-07-2017
मा. विधायक श्रीमती रेखा यादव

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक/ 3/ /2017/ 191 भोपाल, दिनांक : 5/7/2017

प्रति,

श्री अखिलेश कुमार निगम,
उपायुक्त सहकारिता,
जिला- छतरपुर म.प्र.।

विषयः-स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबद।

--00--

मध्यप्रदेश विधानसभा के गत बजट सत्र- फरवरी-मार्च 2017 से संबन्धित अतारांकित प्रश्न कमांक 1303 के प्रश्नांश "ग" के परिपेक्ष्य में मुख्यालय के पत्र कमांक/उप/02/ विधानसभा/17/54 भोपाल दिनांक 21.02.2007 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग सागर को अधिकृत किया गया। संयुक्त आयुक्त सागर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.06.207 के आधार पर आपके द्वारा 3 प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों के पंजीयन में वैधानिक त्रुटि की गई जो निम्नानुसार हैः-

मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र कमांक/उपभोक्ता/8/2000/690 भोपाल दिनांक 14.07. 2000 की कण्डिका क्रमांक (1)(3) में वर्णित प्रावधान है कि-

" प्रस्तावित पंजीयन के प्रस्ताव के कार्यक्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या 5000 एवं 1000 राशनकार्डधारी होने के संबन्ध में सक्षम प्रभाणपत्र प्राप्त किया जायेगा"

उक्त परिपत्र जो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार/महिला उपभोक्ता सहकारी भंडारो के पंजीयन एवं कियाकलापों बावत् निर्देशो के संबध में प्रसारित किया था जिसका पालन आपके स्तर से अपेक्षित था। यद्यपि आपके द्वारा भंडारों के पंजीयन के समय परिपत्र की सदस्यता व अंशपूंजी संबंधी मापदण्ड का पालन किया गया। किन्तु संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सागर द्वारा प्ररतुत जांच प्रतिवेदन अनुसार आपके द्वारा छतरपुर जिले में निम्नलिखित तीज प्राथमिक उपभोक्ता भंडारो का गठन/पंजीयन किया गया जिनमें मुख्यालय के उपरोक्त वर्णित परिपत्र दिनांक 14.07.2000 का पालन नही किया गयाः-

कं.	नाम प्रा. उप. भंडार	वार्ड कमांक	वर्ष 2011 अनुसार जनसंख्या
1.	वृद्धा प्रा. उप. भंडार	03	2068
2.	माधवी प्रा. उप. भंडार	39	4993
3.	राधे राधे प्रा. उप. भंडार	37	4365

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपने उक्त भंडारो के पंजीयन में मुख्यालय के निर्देशो का पालन नही किया। जांच प्रतिवेदनानुसार यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि आपने पंजीयन प्रक्रिया में जनसंख्या एवं राशन कार्ड संबन्धी मापदण्ड की पूर्ति नही की जो कि आपके द्वारा की जानी चाहिए थी तो क्यो न इस आधार पर आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जाये।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण पत्र जारी होने के दिनांक से सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ की जायगी।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त सहकरिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाएं,म.प्र.